पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा श्री केदारनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत मंदाकिनी की ओर से सर्वसमावेशी अवस्थापना कार्य (ONGC) की योजना के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 03 सितम्बर, 2020 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 03 सितम्बर, 2020 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थेः–

1. श्री हरबंस सिंह चुघ, सचिव, नियोजन विभाग (लिंक अधिकारी), उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री दिलीप जावलकर, सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्रीमती सौजन्या, सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री हरिओम शर्मा, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. श्री श्याम सिंह चौहान, संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7. श्री डी0डी0 डालोकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. श्री मुकेश परमार, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर, उत्तराखण्ड।
9. श्री परवीन कण्डवाल, अधिशासी अभियन्ता, डी0डी0एम0ए0/लोक निर्माण विभाग, गुप्तकाशी, उत्तराखण्ड।
10. श्री जितेन्द्र कुमार, महाप्रबन्धक, गढवाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
11. श्री दिनेश वर्मा, सहायक अभियन्ता, टी0ए0सी0 नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।

1. **परियोजना की आवश्यकता एवं औचित्य** :– श्री केदारनाथ धाम परिक्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मास्टर प्लान के अनुरूप पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना एवं पुनर्विकास कार्यो के क्रियान्वयन से सम्पूर्ण केदारपुरी को भव्यता प्रदान किये जाने हेतु विभिन्न कार्य प्रस्तावित किये गये है। इन्ही कार्यो के अन्तर्गत श्री केदारनाथ धाम परिक्षेत्र में मंदाकिनी नदी की ओर से सर्वसमावेशी अवस्थापना में भूमिगत सीवर लाइन, पेयजल आपूर्ति हेतु मैन एवं वितरण प्रणाली, विद्युत आपूर्ति के कार्य एवं Solid waste Management के प्रस्तावित किये गये है।
2. **परियोजना प्राविधान** :– श्री केदारनाथ धाम परिक्षेत्र में मंदाकिनी नदी की ओर से सर्वसमावेशी अवस्थापना कार्यो के अन्तर्गत योजना में निम्न प्राविधान किये गये है :–

   - Water Supply के अन्तर्गत 20 एम0एम0, 25 एमएम0, 50 एमएम, 63 एमएम एवं 160 एमएम के 3 लेयर Poly Propylene Pipes को कुल 2948 मीटर लम्बाई में डाली जानी प्रस्तावित है, 75 संख्या आर0सी0सी0 के वॉल्व चैम्बर 750 x 750 x 1500 एमएम0 साईज के प्रस्तावित है। 32 संख्या विभिन्न साईज के गेट वॉल्व, 3008 मीटर लम्बाई में Disinfacting Water mains लगाये जाने प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त antifreez flexible heating cable 50 m running length में लगायी गयी है। वॉटर सप्लाई की पाईप में Insolation work भी प्रस्तावित की गयी है।

14.09.2020

क्रमशः पृष्ठ–2/–

- Sewerage System के अन्तर्ग एच0डी0पी0ई पाईप जिसके अन्तर्गत 90 एमएम से लेकर 400 एमएम के पाईप कुल लम्बाई 1705 मीटर में डाले जाने है।
- Solid waste Management के अन्तर्गत 80 संख्या Waste Bin, 02 Nos-Small Container 500 litre capacity एवं 50 संख्या Tricycle with 3 bins का प्राविधान किया गया है।
- Electrification Work के अन्तर्गत 08 संख्या एल0टी0 पैनल, 4 संख्या Distribution Board, 5255 m length MV Cables साईज 35 वर्ग एम0एम0 से 400 वर्ग एम0एम0, 170 संख्या Double Compression Brass Gland and Lugs Cable terminator, 31 संख्या 3.3 मीटर ऊँचाई के Architecture Pole जिस पर टॉप लाईट लगायी जानी है, 16 संख्या 3.3 मीटर ऊँचाई के स्मार्ट हैरिटेज पोल जिस पर 02 संख्या सी0सी0टी0वी0 Dome Type Camera USB Charger, SOS Emergency Button, Public Address System and Wifi devices का प्राविधान किया गया है।
- भूमिगत सीवर लाइन, पेयजल आपूर्ति हेतु मैन एवं वितरण प्रणाली, विद्युत आपूर्ति हेतु Electrical Cable का कार्य स्मार्ट पोल, Artitecture Pole, LED light and Tublight, Lt Pannel, Distribution Board, आदि कार्य प्रस्तावित है।

3. **व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमत :–**

- श्री केदारनाथ धाम पुनर्स्थापना एवं पुर्नगठन के सम्बन्ध में प्रस्तावित कार्य CSR (Corporate social responsibility) के अन्तर्गत प्रस्तावित किये गये है। परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पी0एस0यू0 ONGC द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्रस्तावित है।
- परियोजना प्रशासकीय विभाग की विभागीय समिति की दिनांक 28.08.2020 को आहूत बैठक में अनुमोदित है तथा व्यय वित्त समिति में प्रस्तुतिकरण की संस्तुति की गयी है।
- योजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय भार वहन नहीं किया जाना है। वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–474 दिनांक 01 अगस्त, 2019 में निहित प्राविधानों में यह भी व्यवस्था है कि विशेष परिस्थिति में कोई भी प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है यहां यह उल्लेखनीय है कि व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के उपरान्त यह राज्य सरकार का दायित्व न हो, प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित कर ले कि सभी संस्थायें कार्य पूर्ण होने तक समय पर धन उपलब्ध कराते रहें।
- योजना में प्रस्तावित कार्यों की GAD (General Arrangment Drawing) मानचित्र तथा प्रस्तावित कार्य की Detailed Drawing भी उपलब्ध करा दी गयी है।
- प्रस्तावित संरचनाओं की स्ट्रक्चरल डिजायन एवं ड्रॉइंग उपलब्ध करा दी गयी हैं, जिसके अन्तर्गत Design Criteria तथा परिकल्पन की गणनायें उल्लेखित हैं। कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व डिजायन/ड्रॉइंग प्रतिष्ठित संस्थान से अवश्य वैट करा लिये जाय।
- कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना में प्रस्तावित भूमिगत सर्विस लाइन्स् के कार्य राजकीय भूमि के अन्तर्गत ही किया जाना प्रस्तावित है। व्यक्तिगत लाईन/कनैक्शन हेतु जिला प्रशासन द्वारा सहमति अथवा नैगोसिएशन की कार्यवाही की जा रही है। निर्माण कार्यों को कराये जाने से पूर्व उक्त पर सहमति प्राप्त कर ली जाएगी।

14.09.2020

क्रमशः पृष्ठ–3/–

4. **लागत का विश्लेषण**– प्रस्तुत योजना में मदवार लागत विश्लेषण निम्न तालिका अनुसार है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Description	Scheduled (DSR) Items	SOR Items	Non Scheduled Items
1	Civil works	19.69	74.49	-
2	Electrical works	103.76	-	353.07
3	Plumbing works	3.30	-	37.81
	Total	**126.75**	**74.49**	**390.88**
	Contingencies @ 3 % + 1%	5.07	2.98	15.64
	Total	**131.82**	**77.47**	**406.52**
	Add GST 12%		8.94	
	Add 7.5% O&M for 5 years		-	37.35
	Add vetting charges @ 0.75%		-	4.44
	Total	**131.82**	**86.41**	**448.31**
	Say in Lakh	**666.54**		

परियोजना की कुल लागत :– रू0 666.54 लाख

प्रस्तावित योजना आगणन में राज्य योजना आयोग स्तर पर **रू0 31.48 लाख** की कटौती प्रस्तावित की गयी है।

5. **व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :–**

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, चर्चा के उपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार–4 (Summary of Cost) **में अंकित लागत के सारांश–4 में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि रू0 666.54 लाख** को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :–

5.1 कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.2 निर्माण कार्य में स्ट्रक्चरल एवं Reinforcement Steel हेतु शत–प्रतिशत प्राइमरी स्टील का ही प्रयोग किया जाय।

5.3 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट तथा सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री तथा अन्य कार्यो मदों की गुणवत्ता का समय–समय पर एन0ए0बी0एल0 प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य कराया जाय।

5.4 योजना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियोजन विभाग को कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अवश्य संसूचित किया जाय ताकि निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकें।

5.5 निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविधानित कार्यो की स्ट्रक्चरल ड्राइंग एवं डिजाइन जिसमें श्री केदारनाथ परिसर के उच्च हिमालयी एवं भूकम्प की दृष्टि से अतिसंवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए मानक संस्थान से अवश्य अनुमोदित करायी जाय।

5.6 योजना आगणन पर सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय आवश्यक मदों का ही समावेश किया जाय।

5.7 आगणन में डी0एस0आर0 2018 की दरें ली गई है तथा मजदूरी की दरें डी0डी0एम0ए0, रूद्रप्रयाग द्वारा श्री केदारनाथ क्षेत्र हेतु निर्धारित दरों के आधार पर ली गयी है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी

क्रमशः पृष्ठ–4/–

14.09.2020

उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

5.8 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1–5.8 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष /सक्षम अधिकारी द्वारा प्लान, स्ट्रक्चरल डिजाइन एंव विशिष्टियों पर हस्ताक्षर अवश्य किये जायेगें, ताकि भविष्य में प्लान, डिजाइन या विशिष्टियों में कार्यदायी संस्था या Contractor के स्तर से परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता प्रभावित करने की प्रवृत्ति को रोका जा सकें।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

Om Prakash
14.09.2020

ओम प्रकाश
मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्याः 961 /614/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/लो0नि0वि0/2020–21
देहरादूनः दिनांकः 17 सितम्बर, 2020

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव